एन.यू.बी.एस.एन.एल.डब्ल्यू (एफ.एन.टी.ओ)

टी.टी.ए. प्रमोशन

श्री के. थॉमस जॉन, अध्यक्ष, एफ.एन.टी.ओ. द्वारा टी.टी.ए. प्रमोशन पर दर्शाये गये कुछ वास्तविक पहलू

क्या टी.टी.ए. वर्ग एफ.एन.टी.ओ. से अप्रसन्न हो सकता है ?

आज चुनाव को देखते हुए एन.एफ.टी.ई. एव ंबी.एस.एन.एल.ई.यू. दोनों ही टी.टी.ए. के भविष्य को उज्जवल करने के लिए घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं। हकीकत यह है कि एन.एफ.टी.ई. एव ंबी.एस.एन.एल.ई.यू. दोनों ने ही टी.टी.ए. वर्ग का शोषण किया है। कृपया निम्नलिखित तथ्यों पर मंथन करें।

1970 में टेलीकॉम मैकेनिक एसोसिएशन एवं टेक्नीशियन का एक ग्रुप एन.एफ.टी.ई. की शोषित नीतियों के कारण एन.एफ.टी.ई. से बाहर आ गया था एवं एफ.एन.टी.ओ. के साथ मर्ज हो गया था।

1974 में डी.ओ.टी., टी.टी.ए को यू.डी.सी. का वेतनमान देने के लिए राजी हो गया था एवं वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए इसको वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। परन्तु दुःख की बात है कि एन.एफ.टी.ई./ बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा डी.ओ.टी. एवं वित्त मंत्रालय पर जोर डालकर इस प्रस्ताव को वापस करवा दिया गया था।

1983 में टेक्नीशियन की योग्यता इंजिनयरिंग में डिप्लोमा करा दिया गई थी। परन्तु एन.एफ.टी.ई. एव ंबी.एस.एन.एल.ई.यू. टी.टी.ए. वर्ग के लिए

लगातार भ्रम पैदा करते रहे। वे दोनों कहते रहे कि टी.टी.ए. को अन्य वर्गों के साथ चौथे एवं पांचवें वेतनमान में रखना होगा। परन्तु उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि टी.टी.ए. को भी डिप्लोमा इंजीनियर की तरह स्थान मिलना चाहिए।

1986 में श्री हरीश रावत तत्काल केन्द्रीय मंत्री की सहायता से एफ.एन.टी.ओ. द्वारा माननीय राजीव गाँधी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार को बताया गया कि चौथे वेतनमान में टेलीफोन ऑपरेटर/टी.ओ.ए. के वेतनमानों के साथ अन्याय हुआ है। कृपया उनके वेतनमानों में संशोधन किया जाए। माननीय राजीव गाँधी जी टेलीफोन ऑपरेटर/टी.ओ.ए. को रू.1200/– एवं टी.टी.ए. को रू.975/– से 1320/– के वेतनमान देने को राजी हो गये थे। परन्तु यहाँ भी दुर्भाग्य की बात रही कि एन.एफ.टी.ई. एव ंबी.एस.एन.एल.ई.यू., टेलीफोन ऑपरेटर/टी.ओ.ए./टी.टी.ए. को एक पैस भी ज्यादा नहीं देना चाहते थे। इसी कारण एन.एफ.टी.ई./बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा पूरे भारत वर्ष में हड़ताल के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि डीओटी को इस पर कोई निर्णय न लेने के लिए बाध्य होना पड़ा।

साथियों, अगर 1986 में हमारा प्रस्ताव पारित हो जाता तो आज सीनियर टी.ओ.ए. एवं टी.टी.ए. दोनों ही अच्छे वेतनमान प्राप्त कर रहे होते।

बी.एस.एन.एल. द्वारा पैदा होते ही टी.टी.ए. वर्ग का विरोध करना शुरू कर दिया था। बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा अपने पहले सम्मेलन में जो कि विजयवाड़ा (आ0प्र0) में सम्पन्न हुआ था एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें डी.ओ.टी./भारत सरकार को बाध्य किया गया कि टी.टी.ए. के वेतनमानों में कोई संशोधन न किया जाए। बी.एस.एन.एल.ई.यू. द्वारा इस प्रस्ताव को अपनी पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया था।

इन्ही मतलबपरस्त शत्रुओं के कारण ही टी.टी.ए. वर्ग का कोई भी भला नहीं हो सका। पिछले छः वर्षों से हम देख रहे हैं कि बी.एस.एन.एल.ई.यू. एवं एन.एफ.टी.ई. दोनों ही टी.टी.ए. वर्ग को समाप्त करने में लगे हुए हैं। बी. एस.एन.एल.ई.यू. जूनियर टी.टी.ए. वर्ग को भड़का रही है एवं एन.एफ.टी.ई. सीनियर टी.टी.ए. वर्ग को को भड़का रही है। फलस्वरूप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों संघों द्वारा ऑफिसियेटिंग टी.टी.ए. को नियमित होने में भी रोड़ा अटकाया जा रहा है एवं जूनियर टी.टी.ए. को कम्पीटीटिव परीक्षा में बैठने में भी व्यवधान डाला जा रहा है।

एक समय था जब बी.एस.एन.एल.ई.यू. एफ.एन.टी.ओ. की आलोचना कर रही थी कि कम्पीटीटिव परीक्षा के लिए 7 साल की सेवा का प्रावधान एफ.एन.टी.ओ. द्वारा सही नहीं कराया गया। पर आज बी.एस.एन.एल.ई.यू. इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, यह शर्म की बात है।

हालांकि बाद में सन 2007 में 7 साल के प्रस्ताव में कटौती पर सहमति होने के बाद भी बी.एस.एन.एल.ई.यू./एन.एफ.टी.ई. एवं स्नाटा इसे पारित नहीं करा सके। इस बारे में एफ.एन.टी.ओ. द्वारा सी.एम.डी. के साथ मजबूत पक्ष रखा गया, एवं माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन द्वारा जून 2013 में टी.टी.ए. के लिए परीक्षा सम्पन्न कराने के आदेश जारी किये गये।

एफ.एन.टी.ओ. की उपलब्धियाँ

1. 1983 में टी.टी.ए. की योग्यता को डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बदला गया।

2. डिप्लोमा प्राप्त टी.टी.ए. को दो एडवान्स इम्प्लीमेन्ट का भुगतान किया गया।

3. 01.10.2000 से डिप्लोमा इंजीनियर के वेतनमानों में संशोधन किया गया एवं अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों के वेतनमानों के बराबर रखा गया।

4. टी.टी.ए. के लिए जे.टी.ओ. के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रावधान करवाया गया।

5. जे.टी.ओ. के 50 प्रतिशत पदों को टी.टी.एं. एवं डिप्लोमा/डिग्री रखने वालों के लिए आरक्षण करवाया गया।

6. परीक्षा में शामिल होने लिए 10 साल की जगह 7 साल की सोवा योग्यता करवाई गई।

7. 1980 में सीधे तौर पर भर्ती के लिए ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारियों पर रोक होने के बाद भी एफ.एन.टी.ओ. द्वारा टी.टी.ए. की भर्ती के लिए इस रोक को हटवाया गया। इसी का परिणाम है कि आज सारे टी.टी.ए. जो सीधे तौर पर भर्ती हुए हैं लाभान्वित हो रहे हैं।

हम नहीं समझते कि जिस टी.टी.ए. वर्ग को एफ.एन.टी.ओ. के प्रयासों से ही सेवा का लाभ मिला हो वो एफ.एन.टी.ओ. से कैसे अप्रसन्न हो सकते हैं।

एफ.एन.टी.ओ. की मागें

1. टी.टी.ए. वर्ग के साथ अब तक जो अन्याय होता रहा है उसको नये प्रमोशन में दूर किया जाए।
2. टी.टी.ए. के लिए जे.टी.ओ. की परीक्षा के लिए 5 साल की सेवा शर्त रखी जाए।
3. 2007 के टी.टी.ए. का वेतन निर्धारण 2007 जे.टी.ओ. के वेतनमानों के बराबर किया जाए।
4. आई.टी.एस. की रिक्त जगहों पर प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग एवं टेस्ट के आधार पर टी.टी.ए. की नियुक्ति की जाए।
5. टी.टी.ए. को जूनियर इंजीनियर का नाम दिया जाए।

आज समय है कि हम सोचें तथा उपुर्यक्त तथ्यों के आधार पर आंकलन करें कि टी.टी.ए. वर्ग एवं अन्य वर्ग एफ.एन.टी.ओ. का कैसे विरोध कर सकते हैं ?

एन.एफ.टी.ई. एव ंबी.एस.एन.एल.ई.यू. की घातक नीतियों से बचें एवं दिनांक 16.04.2013 को होने वाले चुनाव में बैलट नं.16 चुनाव चिन्ह दीपक पर मुहर लगाकर एन.यू.बी.एस.एन.एल.डब्ल्यू. (एफ.एन.टी.ओ.) को विजयी बनायें।

दीपक

के. थॉमस जॉन
अध्यक्ष

बैलट नं. 16